न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 03/2024 (राजसमन्द आर्डर)

श्रीमती चन्दा देवी पत्नी कालूराम जी, जाति कुम्हार, निवासी मौलेला बस स्टैण्ड, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. राजेन्द्र पिता सूरजमल जी, जाति टांक (कलाल), निवासी मौलेला बस स्टैण्ड, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)
2. जितेन्द्र पिता सूरजमल जी, जाति टांक (कलाल), निवासी मौलेला बस स्टैण्ड, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती मुन्नादेवी पत्नी सूरजमल जी, जाति टांक (कलाल), निवासी मौलेला बस स्टैण्ड, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती सोहनबाई, जाति टांक (कलाल), निवासी मौलेला बस स्टैण्ड, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधि.1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा दिनांक 18–12–2023 प्रकरण सं. 1284/2023

––––::––––

उपस्थित :– 1– श्री भूरालाल डांगी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री मदनलाल टांक अभिभाषक रे.सं. 1, 2

––––::––––

निर्णय दिनांक 09–04–2024

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव मौलेला, तहसील खमनोर में आराजी नंबर 4757 रकबा 0.1265 हैक्टर भूमि स्थित है, जो प्रार्थीगण एवं विपक्षी के संयुक्त खातेदारी की होकर प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा, विपक्षी संख्या का 1/3 हिस्सा है। उक्त भूमि का कभी विभाजन नहीं हुआ है तथा संयुक्त रूप से उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। विपक्षी अजनबी केता होकर बिना विभाजन के मनमकसूद तरीके से जबरन मकान बनाना प्रारम्भ कर दिया है तथा मना करने पर धमकी देते हैं। अतः विपक्षी जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि उक्त भूमि में किसी प्रकार [illegible] कार्य नहीं करें तथा प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:15 IST
Reason: SelfAttested

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

विपक्षी द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि पर पूर्व में सहखातेदारों के मध्य विभाजन हो चुका है, जिसका अंकन विक्रय पत्र दिनांक 10–11–2009 में भी किया गया है। विपक्षी के हिस्से की भूमि के चारों ओर कच्चे पत्थरों की बाउण्ड्री बनी हुई है तथा पक्षकारान पूर्व में हुए विभाजन अनुसार ही अपने–अपने हिस्से पर काबिज हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 18–12–2023 से प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16–01–2024 को प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री मदनलाल टांक उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि साबिक आराजी नंबर 1114 से बने हाल आराजी नंबर 4757 रकबा 0.1265 हैक्टर भूमि पर पक्षकारान के मध्य आपसी बाहमी सहमति से पूर्व में ही विभाजन होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं तथा अपीलान्ट के हिस्से की भूमि पर बाउण्ड्री बनी हुई है जो अपीलान्ट द्वारा पूर्व खातेदार रोशनलाल व मदनलाल से उनका 1/3 हिस्सा दिनांक 10–11–2009 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया है। बाहमी समझौता अनुसार विक्रेता का भाग जो 68 फिट बाई 45 फिट कुलिया रकबा 3060 वर्गफीट होकर पड़ोस पूर्व में सहखातेदार सूरजमल का भाग, पश्चिम में आम सड़क, उत्तर में विक्रेतागण का शेष 1/9 हिस्सा, दक्षिण में इसी आराजी में से 10 फिट छोड़ी गयी जगह है। अपीलान्ट ने अपनी क्रय शुदा आराजी पर काफी निर्माण कार्य कर लिया है, किन्तु अब रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थीगण अपीलान्ट/विपक्षी को तंग व परेशान करने की गरज से वाद के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर अपीलान्ट को अपने हिस्से की आराजी के उपयोग–उपभोग से वंचित करने का आदेश पारित कर दिया, जो [illegible] के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील [illegible] अधिनस्थ [illegible] का निर्णय अपास्त किया जावे। अपने कथन के [illegible] न्यायिक [illegible] प्रस्तुत की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:15 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि यदि मौखिक विभाजन एवं बाहमी विभाजन पूर्व में हुआ होता तो खातेदारों का हिस्सा भी विभाजन अनुसार कम ज्यादा होता, अपीलान्ट अधिक भूमि प्राप्त करना चाहता है, जो उचित नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2076 में विवादित आराजी नंबर 4757 रकबा 0.1265 हैक्टर भूमि पक्षकारों की सहखातेदारी में दर्ज होकर अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा है, जो उसके द्वारा दिनांक 10–11–2009 को क्रय कर किया गया है। उक्त विक्रय पत्र में पक्षकारों के मध्य पूर्व में बाहमी बंटवारा होकर विक्रित भूमि के चारों पड़ोसों का अंकन करते हुए कब्जा केता अर्थात हाल अपीलान्ट को सिपुर्द किये जाने का कथन अंकित है। हमारे सम्मुख भी अपीलान्ट द्वारा 500/– रूपये के स्टाम्प पर की गयी लिखापढ़ी की फोटो प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्टगण के मध्य दिनांक 30–11–2022 को आपसी ईकरारनामें से विवादित भूमि का विभाजन किया जाना तथा अपीलान्ट के हिस्से की भूमि में 11 के.वी. का लाईन निकलने से उसे 3 फुट भूमि अधिक दिये जाने का अंकन किया गया है, इसलिए रेस्पोन्डेन्टगण का यह कथन कि पूर्व में किसी प्रकार का विभाजन नहीं हुआ है, उचित प्रतीत नहीं होता है। राजस्व रेकार्ड अनुसार अपीलान्ट विवादित भूमि का रेकार्डेड सहखातेदार है एवं सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती न ही किसी सहखातेदार को उसके हक हिस्से की भूमि के उपयोग–उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता, जैसाकि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2006 (1) पेज 193 एवं आर.आर.टी. 2019 (1) पेज 172 के अवलोकन से स्पष्ट है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18–12–2022 अपास्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 09–04–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:15 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

सेवामें ,

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपीलीय अधिकारी
उदयपुर (राज0)

प्रकरण संख्या सन् 2024 अपील राजसमन्द/आदेश

1. श्रीमती चन्दा देवी पत्निश्री कालुरामजी जाति कुम्हार उम्र 48 वर्ष, निवासी– मौलेला बस स्टेण्ड, तहसील– खमनोर जिला–उदयपुर (राज0)

– अपीलार्थी

बनाम

1. श्री राजेन्द्र पिताश्री सूरजमलजी जाति टांक (कलाल) उम्र 64 वर्ष, निवासी– मौलेला बस स्टेण्ड, तहसील– खमनोर जिला–उदयपुर (राज0)
2. श्री जितेन्द्र पिताश्री सूरजमलजी जाति टांक (कलाल) उम्र 55 वर्ष, निवासी– मौलेला बस स्टेण्ड, तहसील– खमनोर जिला–उदयपुर (राज0)
3. श्रीमती मुन्नादेवी पत्निश्री सूरजमलजी जाति टांक (कलाल) उम्र 60 वर्ष, निवासी– मौलेला बस स्टेण्ड, तहसील– खमनोर जिला–उदयपुर (राज0)
4. श्रीमती सोहनबाई जाति टांक (कलाल) उम्र 85 वर्ष, निवासी– मौलेला बस स्टेण्ड, तहसील– खमनोर जिला–उदयपुर (राज0)

– प्रत्यर्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 सिविल प्रकिया संहिता

अपीलार्थी/प्रार्थी का प्रार्थनापत्र निम्न प्रकार है :–

1. यह कि प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–12–2023 के विरूद्व अपील प्रस्तुत कर दी है ,जो सुदृड़ आधारों पर आधारित होकर सफलता मिलने की पुरी–पुरी आशा हैं किन्तु अपील के विनिश्चन में समय लगेगा।

2. यह कि कि प्रथम दृष्टया प्रमाणित हैं कि मौजा मौलेला तहसील– खमनोर जिला–राजसमन्द की खाता संख्या 1183 पुराना 1114 की खसरा संख्या 4757 रकबा 0.1265 हेक्टर किश्म बंजड की भूमि स्थित हैं तथा सभी खातेदारान के मध्य आपसी सहमति से आपस में नाम कर अलग अलग विभाजन क[illegible] सभी खातेदार अपने अपने हिस्से पर स्वतन्त्र रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग [illegible] है तथा अलग अलग बाउन्ड्रीया बनी होकर काफि समय [illegible] होकर उपयोग कर रहे हैं, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाथी को अपने [illegible] के उपयोग उपभोग से भी वंचित करेन का आदेश पारित कर दिया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:15 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश.....2

3. यह कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति के तीनों बिन्दु अपीलार्थी के पक्ष में हैं फिर अपीलार्थी को पाबन्द कर दिया गया हैं जो अपीलार्थी अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित हो गये हैं तथा लड़ाई–झगडें होगें जिससे पक्षकारान के मध्य गुणात्मक कार्यवाहीयां बढेगी।

4. यहकि प्रार्थना–पत्र का मुल्यांकन 100 रू नियत किया जाकर निर्धारित न्यायालय शुल्क 1 रू पर पेश है ।

अतः निवेदन है कि अपील के निर्णय तक अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–12–2023 की पालना स्थगित रखायी जावें। तथ्यो के समर्थन में शपथ–पत्र पेश है ।

उदयपुर

दिनांक : 16 –01– 2023

ह0

चन्दा

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:15 IST
Reason: SelfAttested

चन्दा

सेवामें ,

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व
अपीलीय प्राधीकारी उदयपुर (राज0)

प्रकरण संख्या 2024

श्रीमती चन्दा देवी कुम्हार बनाम श्री राजेन्द्र कलाल व अन्य

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 सिविल प्रकिया संहिता सपठित धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

शपथपत्र

मै श्रीमती चन्दा देवी पत्निश्री कालुरामजी जाति कुम्हार उम्र 48 वर्ष, निवासी– मौलेला बस स्टेण्ड, तहसील– खमनोर जिला–उदयपुर (राज0) निम्नलिखित शपथपूर्वक निवेदन करती हुँ कि :–

1. मैं शपथपुर्वक निवेदन करती हुँ कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथन मेरे निर्देशानुसार टाईप कराये गयें हैं , जिन्हैं इस शपथपत्र में पुनः दोहराती हुँ । जो सही सही अंकित करायें गये ।

2. मैं शपथपुर्वक निवेदन करती हुँ कि मैनें कोई तथ्य छिपाया नहीं है

उदयपुर
दिनांक : 16 – 01 –2024 ह0 चन्दा

सत्यापन

मैं श्रीमती चन्दा देवी पत्निश्री कालुरामजी जाति कुम्हार उम्र 48 वर्ष, निवासी– मौलेला बस स्टेण्ड, तहसील– खमनोर जिला–उदयपुर (राज0) सत्यापित करती हुँ कि शपथपत्र की कलम संख्या 1 व 2 मे वर्णित कथन मेरे निजि ज्ञान से सही होकर सत्य है । ईश्वर मेरी सहायता करें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:15 IST
Reason: SelfAttested

उदयपुर
दिनांक : 16 – 01 –2024 ह0 चन्दा

सेवामें,

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपीलीय अधिकारी

उदयपुर

प्रकरण संख्या 3/2024 अपील

श्रीमती चन्दा देवी बनाम राजेन्द्र व अन्य

जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 सी.पी.सी.

उपरोक्त प्रकरण में प्रत्यर्थीगण की ओर से जवाब निम्न निवेदन है –

1. यहकि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या–1 स्वीकार नहीं। प्रार्थना पत्र बेबूनियाद मिथ्या आधारो पर होने से इसमें प्रार्थीगण कभी सफल नहीं होगे।
2. यहकि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या–2 प्रस्तुत रूप में स्वीकार नहीं। खातेदारो के मध्य आपसी सहमति से आपस में खातेदारी अलग–अलग नहीं हुई और विभाजन भी नहीं हुआ है। संयुक्त खातेदारी में होने से प्रार्थीगण विशेष हिस्से पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने के अधिकारी नही है न ही प्रार्थीगण का कोई स्वतंत्र आधिपत्य है। संयुक्त खातेदारी में होने से प्रत्यर्थीगण का प्रथम द्रष्टया प्रकरण है।
3. यहकि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या–3 स्वीकार नहीं। प्रार्थीगण का कोई प्रथम द्रष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति नहीं है, इसके विपरित प्रत्यर्थीगण का प्रथम द्रष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन होने से अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय से जारी है जो न्याय हित में जारी रहना आवश्यक है।
4. यहकि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या–4 कानूनी होने से कानून पर आधारित है।

अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज फरमाया जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश है।

स्थान–उदयपुर

दिनांक –20–02–2024

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:15 IST
Reason: SelfAttested

सेवामें,

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपीलीय अधिकारी

उदयपुर

प्रकरण संख्या 3/2024 अपील

श्रीमती चन्दा देवी बनाम राजेन्द्र व अन्य

जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 सी.पी.सी.

शपथ–पत्र

मै जितेन्द्र पिता श्री सूरजमल जी टॉक आयु 55 वर्ष निवासी मोलेला बस स्टेण्ड तहसील खमनोर जिला राजसमन्द का होकर शपथ पूर्वक निवेदन करता हूँ कि–

1. मै शपथ पूर्वक निवेदन करता हूँ कि जवाब प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 से अंत तक को इस शपथ पत्र में पूनः दोहराते हुए सत्यापित करता हूँ जिन्हें इस शपथ पत्र में पूनः पढा जावे।

स्थान–उदयपुर

दिनांक –20–2–2024

जितेन्द्र सिंह टॉक

शपथ आयुक्त
उदयपुर (राज.)

सत्यापन

मै जितेन्द्र पिता श्री सूरजमल जी टॉक आयु 55 वर्ष निवासी मोलेला बस स्टेण्ड तहसील खमनोर जिला राजसमन्द सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र में वर्णित तथ्य मेरे निजी ज्ञान से सही व सत्य अंकित की है। इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है। ईश्वर मेरी मदद करे।

स्थान–उदयपुर

दिनांक –20–2–2024

जितेन्द्र सिंह टॉक

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:15 IST
Reason: SelfAttested

सेवामें,

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय,

उदयपुर

श्रीमती चन्द्रा बनाम राजेन्द्र व अन्य

मुकदमा नं. :– 03/2024 राजस्व अपील

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 5 एवं धारा 151 जाप्ता दीवानी

उपरोक्त अनवान प्रकरण में रेस्पोडेंटगण की ओर से सानुनय निम्न निवेदन है कि :–

1. यह कि अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, नाथद्वारा से रेस्पोडेंटगण के पक्ष में एवं अपीलार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा विवादग्रस्त स्थल पर निर्माण नहीं करे जारी है।
2. यह कि आप न्यायालय द्वारा अपील में बहस सुनी गई व आदेश पारित किया गया कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाता है, उक्त आप न्यायालय के आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेंटगण राजस्व मंडल, अजमेर में अपील पेश करना चाहते है। जिससे आप न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है के विरूद्ध अपील पेश करने की अवधि तक आप न्यायालय के आदेश का कियान्वयन न हो और अस्थाई जारी रहे।
3. यह कि अस्थाई निषेधाज्ञा अधिनस्थ न्यायालय से रेस्पोडेंटगण के पक्ष में जारी है। आप न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने की अवधि तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रहने पर अपीलार्थीगण को किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। इसके विपरित अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रहने पर अपीलार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:15 IST
Reason: SelfAttested

विवादग्रस्त स्थल पर युद्धस्तर से निर्माण कर स्थिति में परिवर्तन कर देंगे, जिससे सम्पत्ति की सुरक्षा नहीं हो सकेगी व रेस्पोडेंटगण को होने वाली क्षति का मुल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। जिससे न्यायहित में आप न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने तक आप न्यायालय के आदेश का कियान्वयन स्थगित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

4. यह कि अन्य उजरात वक्त बहस निवेदन करेंगे।

5. यह कि प्रार्थना पत्र निश्चित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आप न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने की अवधि तक अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रभावी रखी जावे, न्यायालय द्वारा उचित अवधि प्रदान की जावे, जिससे अधिनस्थ न्यायालय का आदेश प्रभावी रहे व रेस्पोडेंटगण को न्याय मिल सके।

स्थान :– उदयपुर

दिनांक :– 09/04/2024

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:15 IST
Reason: SelfAttested

सेवामें,

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय,

उदयपुर

श्रीमती चन्द्रा बनाम राजेन्द्र व अन्य

मुकदमा नं. :– 03/2024 राजस्व अपील

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 5 एवं धारा 151 जाप्ता दीवानी

शपथ पत्र

मैं राजेन्द्र पिता सुरजमल जी टांक आयु वयस्क निवासी मोलेला तहसील खमनोर जिला राजसमंद का होकर शपथपूर्वक निवेदन करता हूं कि :–

1. मैं शपथपूर्वक निवेदन करता हूं कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 से अंत तक इस शपथ पत्र में पुनः दोहराता हूं। जिसे इस शपथ पत्र में पुनः पढा जावे।

स्थान :– उदयपुर

दिनांक :– 09/04/2024

शपथ आयुक्त उदयपुर (राज.)

सत्यापन

मैं राजेन्द्र पिता सुरजमल जी टांक आयु वयस्क निवासी मोलेला तहसील खमनोर जिला राजसमंद का होकर सत्यापित करता हूं कि इस शपथ पत्र की कलम संख्या 1 सहीं है इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है।

स्थान :– उदयपुर

दिनांक :– 09/04/2024

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:15 IST
Reason: SelfAttested